राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 680/2017

जवाहर सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, चूरू।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, सीकर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.03.2017
आदेश की दिनांक : 07.08.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की 27 वर्ष की दिनांक 19.11.2006 से ग्रेड पे 4800 स्वीकृत किया जावे तथा आदेश दिनांक 13.10.2016 द्वारा जो अपीलार्थी को पेंशन परिलाभो से रूपये 1,24,101/– वसूल किये गये हैं, उसको अपीलार्थी को दिलाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति नवम्बर, 1979 में अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर की गई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 19.11.1979 को कार्यग्रहण किया। उसके पश्चात् शिक्षा उप निदेशक के आदेश दिनांक 04.11.1997 के द्वारा वर्ष 1997–98 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति की गई। अपीलार्थी दिनांक 31.08.2016 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्त होने के पश्चात् आदेश दिनांक 13.10.2016 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी की 27 वर्षीय चयनित

वेतनमान को संशोधित करते हुये दिनांक 19.11.2006 से ग्रेड पे 4800 से ग्रेड पे 4200 निर्धारित करते हुये रूपये 1,24,101/– की वसूली ग्रेच्युटी की राशि से की गई। उनका कथन है कि अपीलार्थी को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार प्रथम चयनित वेतनमान दिया गया तथा 18 वर्ष की सेवा पर आदेश दिनांक 23.04.1999 के द्वारा वेतन श्रृंखला 6500–10500 (अनुलग्नक–2) के द्वारा फिक्सेशन किया गया तथा आदेश दिनांक 31.01.2001 के द्वारा अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान पे बैण्ड 34800 ग्रेड पे 4800 में दिनांक 19.11.2006 से फिक्सेशन किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने सेवानिवृत्ति के पश्चात् 27 वर्षीय चयनित वेतनमान में संशोधन विधि विरूद्ध जाकर किया गया तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात् अपीलार्थी की ग्रेच्युटी राशि में से वसूली की गई। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य रफीक मसीह में दिनांक 18.12.2014 को यह निर्णय पारित किया कि किसी भी सेवानिवृत्त कार्मिक से वसूली नहीं की जावे तथा 5 वर्ष से पूर्व किये गये फिक्सेशन की भी वसूली नहीं की जावे। उक्त न्यायिक निर्णय के विपरीत जाकर प्रत्यर्थी विभाग ने रूपये 1,24,101/– सेवानिवृत्ति के पश्चात् वसूली की है जो अपीलार्थी को ब्याज सहित दिलाई जावे।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की 27 वर्ष की दिनांक 19.11.2006 से ग्रेड पे 4800 स्वीकृत किया जावे तथा आदेश दिनांक 13.10.2016 द्वारा जो अपीलार्थी को पेंशन परिलाभो से रूपये 1,24,101/– वसूल किये गये हैं, उसको अपीलार्थी को दिलाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसके पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को भिजवाये गये, जिसमें आक्षेप लगाये गये। जिसकी पालना में अपीलार्थी के 27 वर्षीय चयनित वेतनमान संशोधित करते हुये ग्रेच्युटी राशि में से वसूली की गई है, जो नियमानुसार है। इसलिये अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का जवाब उल जवाब प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 05.07.2013 के अनुसार दिनांक 01.07.2013 से अध्यापक ग्रेड तृतीय की एसीपी को संशोधित करते हुये 9 वर्ष की सेवा पर ग्रेड पे 4200, 18 वर्ष की सेवा पर ग्रेड पे 4800 तथा 27 वर्ष की

सेवा पर ग्रेड पे 5400 किया गया था। अपीलार्थी उक्त आदेश के अनुसार दिनांक 01.07.2013 से 27 वर्ष की सेवा पर ग्रेड पे 5400 प्राप्त करने का अधिकारी है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 01.07.2013 से सेवानिवृत्ति तक भी अपीलार्थी के 27 वर्षीय चयनित वेतनमान को गलत रूप से संशोधित करते हुये वसूली की है। इसलिये अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश नवम्बर, 1979 में अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर की गई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 19.11.1979 को कार्यग्रहण किया। शिक्षा उप निदेशक के आदेश दिनांक 04.11.1997 के द्वारा वर्ष 1997—98 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति की गई। अपीलार्थी दिनांक 31.08.2016 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्त होने के पश्चात् आदेश दिनांक 13.10.2016 (अनुलग्नक—4) के द्वारा अपीलार्थी की 27 वर्षीय चयनित वेतनमान को संशोधित करते हुये दिनांक 19.11.2006 से ग्रेड पे 4800 से ग्रेड पे 4200 निर्धारित करते हुये रूपये 1,24,101/— की वसूली ग्रेच्युटी की राशि से की गई, जो हमारे मत में नियम विरूद्ध एवं माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों के विपरीत है। ऐसे मामलों में कार्मिकों को पूर्व में भुगतान की गई राशि की वसूली किए जाने के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** के प्रकरण में कार्मिक को भुगतान की गई राशि के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं :—

"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).

(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.

(iii) ***Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.***

(iv) ***Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.***

(v) ***In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee. would be iniquitious or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."***

यह कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** वाले प्रकरण में यह अवधारित किया है कि इस प्रकार मामलों में वसूली नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी ने कभी भी कोई misrepresentation या धोखाधड़ी नहीं की है। इस कारण उसको जो भुगतान किया गया है, वह नियमानुसार किया गया है। उसकी वसूली किया जाना अवैधानिक है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 13.10.2016 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि यदि अपीलार्थी से उक्त आदेश की पालना में कोई वसूली की गई है तो उसे नियमानुसार एवं न्यायिक दृष्टान्तों को दृष्टिगत रखते हुए वापिस लौटाई जावे। अतः उक्त निर्देशों के साथ अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है। उक्त आदेश की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य